

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 144 / 2014 / अलवर

श्री भवर सिंह पुत्र श्री नानग सिंह निवासी  
होलवास तहसील बानसूर जिला अलवर

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक-बानसूर

.....अप्रार्थी

एकलपीठ  
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपरिथित :

श्री उत्तम प्रकाश ओड़ा, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरेन्द्रा,

उप-राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 21 / 04 / 2015

### निर्णय

यह प्रार्थना पत्र वार्ते निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसमें विद्वान कलकटर (मुद्रांक) अलवर के प्रकरण संख्या 362 / 2012 दिनांक 12.06.2013 के निर्णय को चुनौती दी गई है।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता एवं उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरेन्द्रा उपस्थिति ! जिन्हे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता का कथन है कि आराजी ग्राम होलवास खसरा नम्बर 257 रक्षा 0.53 हेक्टर हिस्सा 2/9 के बेचान दरतावेज द्वारा पंजीयक कार्यालय बानसूर में दिनांक 29.04.2010 को पंजीयन हेतु पेश किये गये। उप पंजीयक द्वारा आराजी की मालियत 02,05200/- रु. निर्धारित कर दरतावेज पंजीकरण कर दिये गये। इसके पश्चात् महालेखाकार, जयपुर ने निरीक्षण अवधि 4/2010 से 3/2011 में पिक्रीत भूमि पर टेलीफोन टॉवरों का किया गया देना अंकित किया गया जिसमें कृषि दर से 6 मुना से गणना करने पर 61,540/- की अतिरिक्त राशि बसूली हेतु नियत की। उप पंजीयक द्वारा उक्त राशि जमा कराने के लिये प्रार्थी निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराये जाने पर उप पंजीयक ने अधिनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी का कहना है कि उक्त रेफरेन्स वा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रवोकार किया जिससे व्यक्ति हो कर यह निगरानी

4-

प्राथमा पत्र प्रस्तुत किया है। उनका कहना ह एक विद्वान कलकटर (मुद्रांक) अलवर का निर्णय न्याय, विधि एवं प्रचलित नियमों के विरुद्ध होने की निरस्तनीय है। उनका यह भी कहना है कि उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु दिनांक 29.04.2010 को प्रस्तुत किये गये एवं दस्तावेज में भूमि की मालियत 02,05,200/- निर्धारित कर विक्रय मूल्य 01,71,000/- रु. पर मूद्रांक शुल्क 8,500/- रु. लिया जाकर दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् क्रेता को दिनांक 29.04.2010 को ही लौटा दिये गये। बकील प्रार्थी का आग्रिम कथन है कि दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् उप पंजीयक कार्य से निवृत functus officio हो जाते हैं इसलिये उन्हे रेफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपने पता में उन्होंने आर आर टी 2006 गोल्ड (1) 357 एवं कर बोर्ड के निर्णय आर आर टी 2007 पुष्ट 1139 का हवाला दिया। ऐसी स्थिति में, बकील प्रार्थी के अनुराग रेफरेन्स बलने योग्य नहीं था। फिरभी विद्वान कलकटर (मुद्रांक) अलवर का निर्णय देकर कागूरी त्रुटि की है। उनका यह भी कहना है कि निरीक्षण दल द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट गलत है क्योंकि पूर्ण भूमि पर टेलीफोन टॉवर स्थित नहीं है। उनका कथन है कि टेलीफोन टॉवर पूर्णतया अस्थाई था एवं किराय पर था। यदि निरीक्षण दल को भूमि वाणिज्यिक दर से निकालनी चाहिये तो वह सात्र उतने क्षेत्र पर नापिजियक दर लगा सकते थे जिसने पर टॉवर स्थित था, पूरे क्षेत्र पर नहीं। बकील प्रार्थी का कहना है कि टेलीफोन टॉवर 80/65 फिट पर ही लगे हुये हैं इसलिये सम्पूर्ण रक्षे को गणना केलिये वाणिज्यिक उपयोग हेतु काम में लिया जाना नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर जांच नहीं कर महालेखाकार का निरीक्षण दल के प्रतिवेदन पर आंख मुंद कर विश्वास कर आदेश पारित किया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के निपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कहना है कि जहां पर डी एल सी की व्यवसायिक दर अनुमादित नहीं हो वहां पर कृषि भूमि की दर का छँगुना लिये जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा संशोधित कर तीन गुना ही कर रखा है जिस पर विद्वान कलकटर (मुद्रांक) अलवर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

विद्वान उप राजकीय अभिभावक का कथन है कि विक्रय पत्र पर वाणिज्यिक गतिकिसी होना स्पष्ट रूप से व्यक्त है। टेलीफोन टॉवर के अतिरिक्त शेष भूमि पर कृषि का कार्य चल रहा है इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का

प्रमाण प्रार्थी निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र निगरानी निरस्त किया जाय एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा जाय।

अपने रिजार्सोहॉट्टर आरग्यूमेन्ट में वकील निगरानीकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि विक्रय पत्र कृषि भूमि का ही है इसलिये सम्पूर्ण भूमि एवं वाणिज्यिक दर से मांग आरोपित करना पूर्णतया अनुचित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विक्रय पत्र निःसन्देह कृषि भूमि का ही है। इसके पृष्ठ दो में स्पष्ट लिख है कि श्री भंवर सिंह ने विवादग्रस्त आराजी को कई वर्ष पूर्व क्रय किया था एवं उसी समय से विवादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा चला आरहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टियों के शुद्धिकरण में समय लग रहा था इसलिये शुद्धिकरण केलिये अब बेनामी करवाया जारहा है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र महज खानापूर्ति है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर श्री भंवरसिंह का कब्जा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका इन्द्राज नहीं होने से अब बेनामी के जरिये इसे कराये जाने की चेष्टा है। बेनामी के घरण संख्या ४३ में स्पष्ट लिखा है कि बेचान की गयी भूमि को श्री भंवर सिंह ने टेलीफोन टॉवर लगाने हेतु किराये पर दी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र में ही वादग्रस्त भूमि पर टेलीफोन टॉवर होने की बात स्वीकार की गयी है। टेलीफोन टॉवर के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यालय एवं अन्य सिविल स्ट्रक्चर होना भी सम्भव है। प्रार्थी निगरानीकर्ता ने ऐसे कोई दरतावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह माना जाय कि इस भूमि पर ८०/०५ का ओडकर शेष भूमि पर काश्त हो रही है या कृषि भूमि के तौर पर उपयोग हो रही है। इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर मात्र टेलीफोन टॉवर ही लगा हुआ एवं उस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि श्री भंवर सिंह एवं श्री जी अहै एल के मध्य इस भूमि के सम्बन्ध में एक लीजडीड निष्पादित हुआ है जो कि इस तथा की पुष्टि करता है कि इस भूमि पर टेलीफोन टॉवर लगा हुआ है। लीजडीड के घरण संख्या तीन में यह लिखा हुआ है कि जो खुली जमीन उस पर टेलीफोन सम्बन्धी सेवायें ही संचालित की जावेगी। इस प्रकार हम इस नारीजे पर पहुँचते हैं कि सम्पूर्ण भूमि पर ही टेलीफोन टॉवर एवं इसारी सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जो कि वाणिज्यिक प्रवृत्ति की

—४—निगरानी संख्या — 444 / 2014 / अलवू

है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी अर्वाकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष